

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

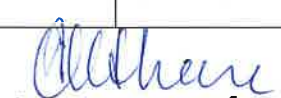
1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9498/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
2.	7947/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
3.	8777/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Defer for Next Meeting
4.	9403/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
5.	9448/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9410/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
7.	9456/2022	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
8.	9481/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
9.	5809/2018	1(a)	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	Delisted
10.	8399/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	Defer for Next Meeting
11.	9535/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
12.	9545/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
13.	9554/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9551/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
15.	9742/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
16.	9603/2023	1(a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त ऐजेण्डा					
17.	9129/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9235/2022	1(a)	पत्थर, एम सेण्ड एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
19.	8679/2021	2(b)	ओर बेनिफिकेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
20.	9023/2022	1(a)	लाईमस्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9799/2023	5(a)	सिंगर सुपर फास्फेट	FoR ToR	ToR स्वीकृत
22.	9422/2022	8(a)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
23.	8726/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9564/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9183/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
26.	9801/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
27.	9802/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
28.	9803/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
29.	9804/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
30.	9805/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
31.	9806/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
32.	9807/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
33.	6417/2019	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
34.	9759/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
35.	9363/2022	5(f)	Metallic Stearates & Intermediate	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
36.	9303/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
37.	9370/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
38.	9151/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
39.	9808/2023	1(c)	सिचाई परियोजना	For ToR	ToR स्वीकृत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

40.	9809/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
41.	9810/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
42.	9812/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
43.	9813/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
44.	9814/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
45.	9815/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
46.	9816/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
47.	9818/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
48.	9822/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	निरस्त
49.	9823/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
50.	9824/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
नीतिगत निर्णय					

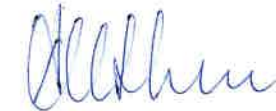
1. प्रकरण क्र 9498/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अमित रघुवंशी आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी – ग्राम नटेरन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 297, ग्राम नगतरा, तहसील तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	600
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, चिरोल, खमेर।	600
Total		1200

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम नगतरा के शासकीय माध्यमिक शाला कैंपस की मरम्मत व रंग रोगन कार्य किया जाये एवं स्टील गेट का निर्माण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री अमित रघुवंशी आत्मज श्री गजेन्द्र सिंह रघुवंशी, निवासी - ग्राम नटेरन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 297, ग्राम नगतरा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला विदिशा द्वारा पत्र क्र. 2991 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.12.2032 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2. प्रकरण क्र 7947/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री लालता प्रसाद बघेल, निवासी हिवाला, पोस्ट मंडला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 3/1/ख, ग्राम बम्हनगांव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 610वीं बैठक दिनांक 08.12.2022 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) हरदा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी से 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, करंज, खमैर, , अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, गुलमोहर महुआ इत्यादि।।	250


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

	ऊँचाई 01 मीटर)		
3	ग्राम बम्हानगांव के प्राथमिक विद्यालय	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार गुलमोहर इत्यादि।	10
4	बम्हानगांव ग्रामवासीयो में वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मूंग, इत्यादि।	1240
कुल			2000

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- धाना बाबा के चबूतरे पर टीन शेड का निर्माण तथा 04 पंखें प्रदान किये जाये।
- ग्राम बम्हानगांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में रंग रोगन का कार्य, 85 बच्चों को पीटी शूज और मोजे एवं 05 पंखे प्रदान किये जाये।

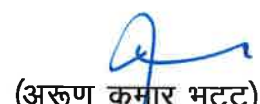
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री नवल सिंह बघेल आत्मज श्री लालता प्रसाद बघेल, निवासी हिवाला, पोस्ट मंडला, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9938 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.60 हेक्टेयर, खसरा 3/1/ख, ग्राम बम्हानगांव, तहसील खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला हरदा द्वारा पत्र क्र. 6729 दिनांक 25.06.2019 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.06.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र 8777/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वाजीत सिंह आत्मज श्री महिलापाल सिंह बघेल, निवासी एम.जी. रोड़, सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50009 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.75 हेक्टेयर, खसरा 762, ग्राम अरनिया जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर आगामी SEIAA बैठक में विस्तृत चर्चा की जावे।

4. प्रकरण क्र 9403/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, निवासी हनुमान मंदिर के सामने, तिल्ली वार्ड, सागर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 93, ग्राम मझगांवा अहीर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

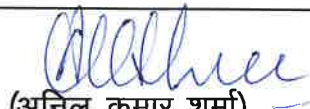
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

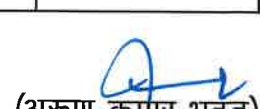
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 606वीं बैठक दिनांक 14.11.2022 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद काटे जाने वाले 01 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
कुल			2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

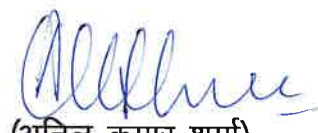
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम मझगुवा अहीर के आंगनबाड़ी में बाउंड्रीवाल का निर्माण, 01 हैण्डपम्प रिचार्ज पिट के साथ स्थापित किया जाये एवं 01 झूला व 01 फिसलपट्टी प्रदान की जाये।

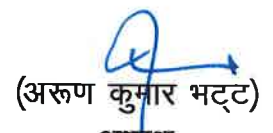
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, निवासी हनुमान मंदिर के सामने, तिल्ली वार्ड, सागर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 93, ग्राम मझगंवा अहीर, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का पत्र क्र. 7451 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र 9448/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चंचला जोशी पत्नि श्री कमल जोशी, निवासी 39, ए, साईनाथ कॉलोनी, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 139/1, ग्राम करी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

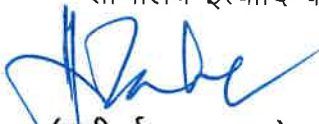
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 611वीं बैठक दिनांक 14.12.2022 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

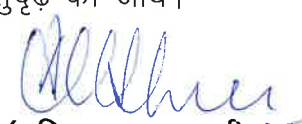
- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कस्टार, जंगल, जलेबी, खमेर, चिरौल, आवंला, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	शीशम, चिरौल, करंज, खमेर, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3	ग्राम पंचायत करी के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, आवंला, आम, अमरुद, जामुन, मुनगा एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ।	980
4.	शासकीय विद्यालय करी में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
कुल			2400

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम करी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में रंग रोगन का कार्य व पीने के पानी की उचित व्यवस्था के साथ नवीन टंकी स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चंचला जोशी पत्नि श्री कमल जोशी, निवासी 39, ए, साईनाथ कॉलोनी, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 139/1, ग्राम करी, तहसील बड़वानी, जिला बड़वानी (म. प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बड़वानी द्वारा आदेश क्र. 345 दिनांक 02.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र 9410/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री बाहदुर सिंह सिसोदिया, ग्राम रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 345, ग्राम रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 609वीं बैठक दिनांक 07.12.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से 100 मीटर एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

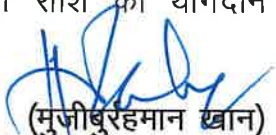
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

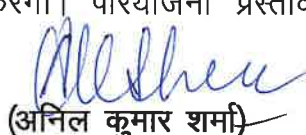
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	350
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
4.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत रामनगर)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत रामनगर के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
6.	ग्राम पंचायत रामनगर के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
कुल			2000

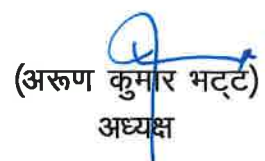
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रामनगर के शासकीय प्राथमिक शाला में 20 बेंच व 5 कुर्सियों प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शमी)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री बाहदुर सिंह सिसोदिया, ग्राम रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 345, ग्राम रामनगर, तहसील इच्छावर, जिला सीहोर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला सीहोर द्वारा पत्र क्र. 3404 दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.11.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

7. प्रकरण क्र 9456/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत आत्मज श्री जगदीश कुमावत, निवासी ग्राम चकरावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 16/1, 97/1/1, 97/1/2, ग्राम माधवगढ़, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

1. प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :- "इस प्रकरण में पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई थी तथा सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 यह संज्ञान में आने पर कि प्रकरण क्रमांक 9351/2022 में आवेदक पवन अंजाना के नाम पर एक अन्य खदान रकबा 4.00 हेतु में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है प्रभारी खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन ने पुनरीक्षित प्रमाण पत्र क्रमांक 404 दिनांक 17/02/23 के माध्यम से सूचित किया है कि आवंटित के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान श्री पवन पिता भगवान सिंह अंजाना के नाम से स्वीकृत है, जिसका रकबा 4.00 हे. है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 के माध्यम से त्रुटिपूर्ण जानकारी इस प्रकरण में सिया / सेक को प्रदाय की गई है, अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को सिया स्तर से संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाये ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो।" अनुसार जिला खनिज अधिकारी द्वारा 500 मीटर की परिधि में स्वीकृति संचालित खदानों की प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण जानकारी के संबंध में कलेक्टर जिला उज्जैन को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये जिससे के भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो साथ ही संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को भी पत्र सूचनार्थ प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 618वी बैठक दिनांक 11.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 07 पेड़ लगे हैं, जिसे काटा नहीं जाये एवं उसका संरक्षण किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	330
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	170
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	700
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल आदि स्थानीय प्रजातियाँ	200
कुल वृक्षारोपण			1400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम माधवगढ़ के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी सहित वॉटरफिल्टर की स्थापना की जाये।
- ग्राम माधवगढ़ के शासकीय प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्ट्रेचर एवं व्हीलचेयर प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत आत्मज श्री जगदीश कुमावत, निवासी ग्राम चकरावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 16/1, 97/1/1, 97/1/2, ग्राम माधवगढ़, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 1577 दिनांक 14.09.2022 एवं पत्र क्र. 2000 दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

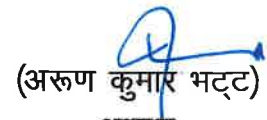
8. प्रकरण क्र 9481/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार, निवासी 465, वार्ड नं. 07, गांधी मार्ग, बस स्टैण्ड, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.950 हेक्टेयर, खसरा 161, ग्राम पलासिया, तहसील अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया और प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति ने पाया कि सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/23 में लिए गए निर्णय अनुसार "कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/ संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक जानकारी 15 दिवस में सीधे ही सेक को प्रेषित किया जाये" के संदर्भ में कलेक्टर, जिला बड़वानी से आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है तथा प्रकरण काफी समय से लंबित है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये तथा जब जानकारी प्राप्त हो तो उसे पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है तथा जानकारी प्राप्त होने के उपरांत पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र 5809/2018 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्पण इन्टरप्राइजेज़, प्रोपराईटर, श्री विश्वास पंवार, निवासी 100 विकास नगर, स्कीम नं. 14/4, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटेराईट 51832 टन प्रतिवर्ष व सेलेब वेस्ट मटेरियल मुरुम 5000 घनमीटर, रकबा 24.093 हेक्टेयर, खसरा 2214/3 भाग, ग्राम कस्बा आगर, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उन्होने कलेक्टर नीमच से संपर्क किया जिन्होंने उनको तहसीलदार के पास प्रस्ताव पर कंसेंट हेतु संपर्क करने को कहा तहसीलदार ने पत्र क्रमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के माध्यम से अवगत कराया है कि वे मेसर्स अर्पण इन्टरप्राइजेज़ को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे तथा सामाजिक पर्यावरण एवं पशुपालन में सहयोग हेतु विभाग अपनी सहमति प्रदान करता है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा श्री माधव गौशाला, आगर से भी अनापत्ति प्राप्त किया गया है। समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने तहसीलदार के पत्र क्रमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के विभाग की सहमति प्राप्त की है किंतु उनको सिया द्वारा चाही गई पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है चूंकि प्रकरण काफी समय से लंबित है अतः प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEIAA की 768वी बैठक दिनांक 31.01.2023 में लिये गये निर्णय एवं SEAC की 635वी बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा अनुसार प्रकरण में पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति तथा अभिप्रमाणीकरण 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र 8399/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विनय राठौर, निवासी ग्राम पृथ्वीपुर, तहसील व जिला निवाड़ी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 42, ग्राम मगरई, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 619वी बैठक दिनांक 12.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

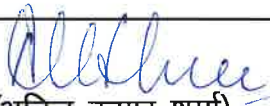
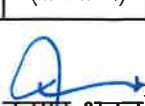
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 04.04.2023 के माध्यम से पूर्व में प्रस्तुत खनन हेतु नॉन ब्लास्टिंग शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण को विस्तृत चर्चा हेतु आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

11. प्रकरण क्र 9535/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बेदिका कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री जय कुमार जैन, निवासी - तिलक वार्ड, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 72, ग्राम कटंगी, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 619वीं बैठक दिनांक 12.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) सागर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले तालाब से 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	 (मुजीबुरहमान खान) सदस्य सचिव	 (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	 (अरुण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, चिरोल, आंवला सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों	200
3	कटंगी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनगा, आम, अमरुद।	3070
4	प्राथमिक शासकीय विद्यालय कटंगी में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर।	30
कुल			4800

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम कटंगी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 01 कम्प्यूटर व 01 प्रिंटर टेबल के साथ प्रदान किया जाये।
- ग्राम कटंगी में ग्रामवासियों हेतु वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बेदिका कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री जय कुमार जैन, निवासी – तिलक वार्ड, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 72, ग्राम कटंगी, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 7264 दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

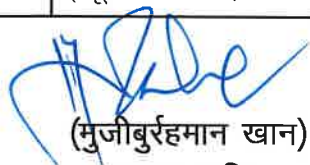
12. प्रकरण क्र 9545/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोकचंद मालवीय आत्मज श्री राधेश्याम मालवीय, निवासी ग्राम चाचरियापाटी, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 11/6/3/1/1, ग्राम चाचरियापाटी, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

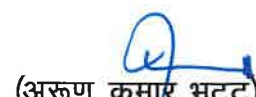
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 619वीं बैठक दिनांक 12.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) बड़वानी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाय
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी के चिह्नित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
6	ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
कुल			1000

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

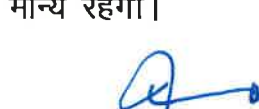
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम चाचरियापाटी के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं 5 कुर्सिया प्रदान की जाये।
- ग्राम चाचरिया पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनवाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोकचंद मालवीय आत्मज श्री राधेश्याम मालवीय, निवासी ग्राम चाचरियापाटी, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 11/6/3/1/1, ग्राम चाचरियापाटी, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)। संचालनालय भूमिकी तथा खनिकर्म का पत्र क्र. 16077 दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

13. प्रकरण क्र 9554/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हरिश मेवाफरोश आत्मज श्री रामस्वरूप मेवाफरोश, निवासी ए-2/225, राज्य कर्मचारी आवास कॉलोनी, पंत नगर, महलगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25725 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.387 हेक्टेयर, खसरा 6/3, ग्राम सुपावली, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 620वीं बैठक दिनांक 13.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	सुपवाली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	1045
4	शासकीय विद्यालय सुपवाली में	कदंब, अमलतास, पुत्रंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाया जायेगा। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दिया गया है।	
कुल			1665

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सुपवाली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय व आंगनवाड़ी केन्द्र की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये तथा बच्चों के लिए बैग, बॉटल, शूज और मोजों का वितरण किया जाये व आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिये झूला, फिसलपट्टी स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

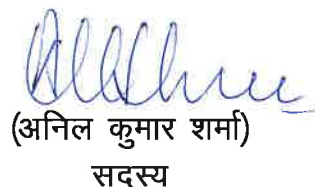
परियोजना प्रस्तावक श्री हरिश मेवाफरोश आत्मज श्री रामस्वरूप मेवाफरोश, निवासी ए-2/225, राज्य कर्मचारी आवास कॉलोनी, पंत नगर, महलगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25725 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.387 हेक्टेयर, खसरा 6/3, ग्राम सुपावली, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्र. 5002 दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.04.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

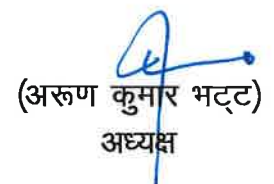
14. प्रकरण क्र 9551/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री पवन कुमार जैन, निवासी जैन सदन, महल रोड़, कृष्णापुरम कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 53900 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 48400 व एम सेण्ड 5500 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1483, ग्राम परिच्छा अहिर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 620वीं बैठक दिनांक 13.01.2023 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (i) शिवपुरी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाय
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार निर्धारित राशि ग्राम पंचायत/वन विभाग को (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव हेतु) प्रदान की जाये।

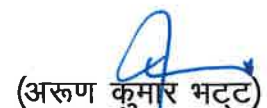
कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	6000
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता , निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2800
कुल			4800

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के परिच्छाअहिर के शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में 45 टेबल-चेयर का सेट प्रदान किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, पार्टनर, श्री पवन कुमार जैन, निवासी जैन सदन, महल रोड़, कृष्णापुरम कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 53900 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 48400 व एम सेण्ड 5500 घनमीटर प्रतिवर्ष) रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1483, ग्राम परिच्छा अहिर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी द्वारा पत्र क्र. 1612 दिनांक 31.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 18 माह (17.11.2022 से 16.05.2024 तक) की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.05.2024 तक वैध मान्य रहेगी।

15. प्रकरण क्र 9742/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेडिंग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्धी, निवासी प्लॉट नं. 7, बिंदु सदन, 401, साई चन्द्रा रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगरेदि (तेलंगाणा) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.550 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम रातामती, तहसील भैसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

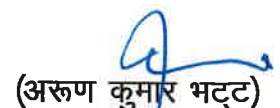
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 636वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 636वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 21,600 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 21,600 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 21,600 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज एरिया 2.550 हेक्टेयर से 1.63 हेक्टेयर क्षेत्र में ही रेत खनन किया जायेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants to be Planted
Upto 30.06.2023	For Village distribution specially to the famers who, s land are near to the river bank.	Aam, Munga Hybrid Ber, Sitafal, Anwla, Neembu, Bel and other local species.	1600

- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 व्हीलचेयर, 02 कम्पलीट बेड, 01 वार्मर मशीन प्रदान की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नेशनल ट्रेडिंग एंड सर्विस लि. निदेशक, श्री विनोद कुमार गोवर्धी, निवासी प्लॉट नं. 7, बिंदु सदन, 401, साई चन्द्रा रेसीडेंसी, हैदराबाद, रंगरेदि (तेलगाना) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.550 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम रातामती, तहसील भैसादेही, जिला बैतूल (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल का आदेश क्र. 261 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

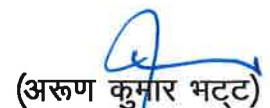
16. प्रकरण क्र 9603/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि., निदेशक श्री सुनील बंसल, निवासी तृतीय फ्लोर, तवा काम्प्लेक्स, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,60,338 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 213, 173, ग्राम तोडा, तहसील बांदा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 636वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 636वीं बैठक दिनांक 13.04.2023 की अनुशंसा को मान्य


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार निर्धारित राशि ग्राम पंचायत/वन विभाग को (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा रख-रखाव हेतु) प्रदान की जाये।

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, कदम, सप्तपर्णी, करंज, जंगल जलेबी, सेमल कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम तोडा एवं ग्राम पंचायत छपरी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, कैथ, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200
4	ग्राम तोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत छपरी के प्राथमिक शाला एवं पंचायत परिसर में	मोलश्री, सेमल, कदम, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
कुल			4200

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत छपरी के शासकीय कन्या माध्यमिक शाला में 01 कम्प्यूटर टेबल के साथ प्रदान किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम तोड़ा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बैठने के लिये बेंच की व्यवस्था एवं खेलकूद की सामग्री प्रदान की जाये।
- ग्राम पंचायत छापरी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से आवश्यकतानुसार सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बंसल कन्स्ट्रक्शन वर्क्स प्रा.लि., निदेशक श्री सुनील बंसल, निवासी तृतीय फ्लोर, तवा काम्प्लेक्स, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,60,338 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 213, 173, ग्राम तोड़ा, तहसील बांदा, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय परियोजना निर्देशक सागर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का पत्र क्र. 953 दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को दिनांक 05.04.2024 तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.04.2024 तक वैध मान्य रहेगी।

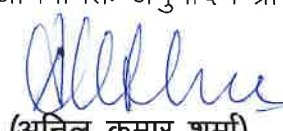
17. प्रकरण क्र 9129/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हरीराम रावत आत्मज श्री जगन्नाथ रावत निवासी ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एवं मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 32000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं मुरुम 6525 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

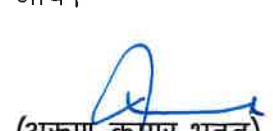
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, आदि।	880
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- खमेर, चिरोल, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, सप्तपर्णी, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, कदम आदि।	150
3.	गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- अचार, चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, महुआ बरगद, करंज आदि।	300
4.	गांव क्षेत्र के शासकीय शाला एवं मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे :-कदम, पीपल, बरगद, पीपल, करंज, कहवा आदि।	100
5.	देपालपुर तहसील कार्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पाखड़, नीम, आम, मोलश्री, कदम, पुत्रंजीवा, कचनार, हरसिंगार एवं कनकचम्पा इत्यादि।	100
6.	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल, मुनगा आदि।	2680
योग			4210

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रावद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री हरीराम रावत आत्मज श्री जगन्नाथ रावत निवासी ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एवं मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 32000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं मुरुम 6525 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर का पत्र क्र. 677 दिनांक 17.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.03.2032 तक मान्य रहेगी।

18. प्रकरण क्र 9235/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति श्री जगदीश सिंह, निवासी -ई-7 एम 708, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एवं एम. सैन्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 1,40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सैन्ड 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एवं मुरुम 8800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, ग्राम कम्पेल तहसील कुण्डेल, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

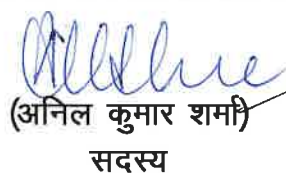
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

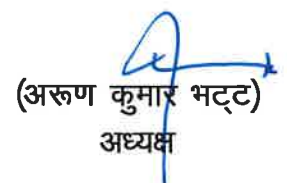
क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	900
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम आदि।	150
3.	ग्राम में स्थित विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-करंज, कदम, पुत्रंजीवा, कहवा, करंज, मोलश्री, नीम, आदि।	50
4.	ग्राम कम्पेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आमला, आम, जामुन, अमरुद, कदम अमलतास, सदाबहार आदि।	50
5.	आसपास के ग्रामीणों को वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल, मुनगा आदि। (खनिज क्षेत्र के समीप स्थित खेतों के भू-मालिकों को प्राथमिकता दी जाये)	3650
योग			4800

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम तेलिया खेडी में शासकीय माध्यमिक पाठशाला के सामने खेल के मैदान का समतलीकरण करवाया जाये साथ ही मैदान के चारों ओर मजबूत तार फेंसिंग की बॉऊड्री कराई जाये।
- समीपस्थ 05 ग्रामों के मवेशियों के एवं ग्राम पेड़मी में स्थित गोशाला में मवेशियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कर वैक्सिनेशन कार्य किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम केम्पेल की सडक की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा. लि. अधिकृत व्यक्ति श्री जगदीश सिंह, निवासी -ई-7 एम 708, अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एवं एम. सैन्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 1,40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सैन्ड 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एव मुरुम 8800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, ग्राम कम्पेल तहसील कुण्डेल, जिला इन्दौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर का पत्र क्र. 467 दिनांक 09.02.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.02.2032 तक मान्य रहेगी।

19. Case No 8679/2021: Prior Environment Clearance for Dhamki Mn Ore Beneficiation Plant, Khasra no. Part of 178, at Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Dist. Jabalpur (MP). Lease area 3.60 ha., Production Capacity 80,000 Tonn/Year M/s Shobha Minerals, Dhamki Mining & Trading of Minerals, 765, Napier Town, Dist. Jabalpur, MP. Env't. Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP).

- 1- यह प्रकरण ग्राम धमकी, तहसील - सिंहोरा, जिला - जबलपुर (म.प्र.) में मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन प्लांट (क्षमता -80,000 Tonn/Year) के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है। यह एक अयस्क बेनीफिकेशन परियोजना है जिसमें मैंगनीज अयस्क (पाइरोलुसाइट) का बेनीफिकेशन शामिल है।
2. उक्त प्रकरण की लीज एरिया में SEIAA द्वारा लेटराइट, मैंगनीज एवं आयरन ओर माइन के लिए पत्र क्र. 875/SEIAA/17 दिनांक 24.06.2017 को पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी।
3. मैंगनीज अयस्क के निम्न ग्रेड को ध्यान में रखते हुए लीज क्षेत्र में physical method से बेनिफिशिएशन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता है।
4. पूर्व पर्यावरणीय अभिस्वीकृति में निहित शर्तों का पालन प्रवितेदन समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त किया है, जिसमें कोई नॉन कम्पलाइंस नहीं पाया गया है।
5. कुल पट्टा क्षेत्र खसरा नंबर 178 का 3.60 हेक्टेयर है, जिसमें से प्रस्तावित लाभकारी संयंत्र 896 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रस्तावित है।


(मुजीबुरेहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

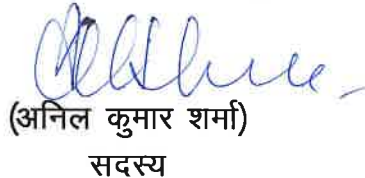
6- परियोजनाकाविवरणनिम्नानुसारहै :-

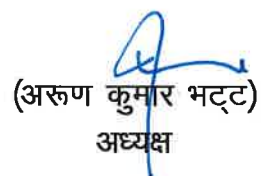
S. NO	Particulars	Details
1	Project	Mn Ore Beneficiation Plant with proposed capacity of 80,000 Ton per Year of Mn Ore Concentrate
2	Khasra number	Part of 178
3	Locations	Village- Dhamki, Tehsil – Sihora Dist Jabalpur (MP)
4	Toposheet No.	64A/3
6	Latitude Longitude	23°21'48.45"N to 23°21'50.24"N 80°2'25.41"E to 80°2'27.48" E
7	Total Power requirement	4.4 KVA from MPSEB (18.3 Kwh power per ton of production)
8	Total Land available	3.60 ha
9	Land required for Beneficiation Plant	896 sqm
10	Water Requirement	Process water requirement : 110 M3/hr Water consumption/loss in the process: 10.0 M3/hr Recycled water: 100 M3/hr The overall consumption is 0.05 m3/ tone. Therefore, water requirement for the whole plant is 10 M3/hr
11	Source Of Water	From mining pit of captive mine
12	Tailing generation	8184 TPA on dry basis
13	Alternative Source of Power	D. G. Set of 250 KVA
14	Cost of project	Rs 1.50 Crores
15	Capital Cost of EMP	Rs 32 Lacs (Bag Filter, Sprinkler, Tailing storage, filter press etc)
16	Recurring cost for environmental management (Proposed) etc	13 Lacs per year
17	Number of employment generation	30 persons for Operation phase
18	Fund for CER activities	Rs 10.50Lacs
19	Working day	330day

7. लोक सुनवाई दिनांक 03.09.2022 को प्रस्तावित ग्राम धमकी, तहसील – सिहोरा, जिला – जबलपुर (मप्र) में मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन प्लांट के परिसर में संपन्न हुई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 637वीं दिनांक 17.04.23 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 05 से 08 पर अंकित करते हुए "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" अनुशंसित की है। उक्त अनुशंसा के आधार


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया :-

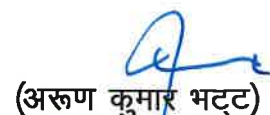
- i. परियोजना में मैंगनीज अयस्क का बेनीफिकेशन किया जा रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि बेनीफिशियेशन से जेनरेटेड रिजेक्ट का उचित प्रबंध करे, जिसे पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति न हो तथा उत्पादन क्षमता के अनुसार प्लांट में **Raw Material** के रखरखाव कि समुचित व्यवस्था हो।
- ii. परियोजना स्थल के चारों ओर विशेष रूप से प्रबल हवा की दिशा में सघन हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा। बसाहट की ओर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिये स्थल की सीमा के साथ-साथ सघन हरित पट्टी विकसित किया जाना भी सुनिश्चित करें।
- iii. ईकाई से निकले रिजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा ईकाई के अंदर पुनरुपयोग किया जायें ताकि किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो सकें।
- iv. ईकाई परिसर के अंदर की सभी सड़के पक्की होनी चाहियें एवं परियोजना प्रस्तावक को खनिजों के परिवहन के लिये उपयोग की जाने वाली सड़क का रखरखाव नियमित रूप से किया जाना चाहिये।
- v. ट्रकों एवं वाहनों के आवागमन हेतु सड़क की उचित चौड़ाई और टर्निंग रेडियस सुनिश्चित करते हुये कम से कम ट्रकों के लिये पक्का पार्किंग-वे विकसित किया जाना चाहिये।
- vi. परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दुर्घटना के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही हेतु प्रवेश और निकासी की अलग-अलग उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु क्र. (i) से (vi) तक को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट-4 सहित परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मैसर्स शोभा मिनरल्स, धमकी माइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ मिनरल्स, 765, नेपियर टाउन, जिला जबलपुर, (म.प्र.) में 80,000 Tonn/Year की कुल उत्पादन क्षमता के मैंगनीज अयस्क बेनीफिकेशन के यूनिट स्थापना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।

20. प्रकरण क्रमांक 9023/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराम कॉलोनी, आंध्रा बैंक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 303पी, 309पी, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317पी, 319पी, 320पी, 399पी, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 06.794 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन-3,00,000 टीपीए, ग्राम बरहिया, तहसील – मैहर, जिला – सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

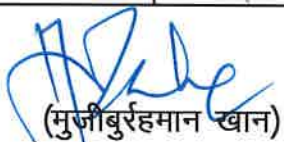
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

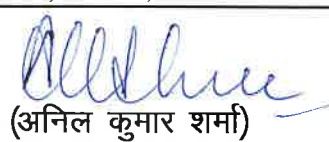
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

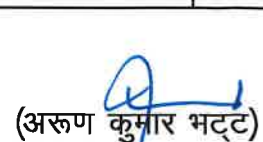
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-3) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी, नेशनल हाईवे तथा तालाब से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 09 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 90 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्रि-गार्ड लगाये जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	No. of Plants
1st year	In barrier Zone, within lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	1300
1st year	In west towards Water reservoir (165m)	Jamun, Chirol, Neem, Aam, Karanj and other local species	200
1st year	Along transport route (120m)	Neem, Peepal, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	150


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

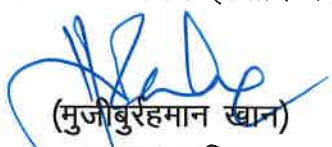
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

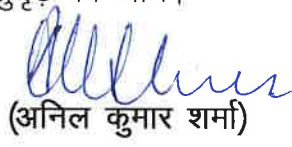
5th to CP	Backfilled Area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	2600
1st - 2 nd year	Plantation around Sharda Devi Temple through Forest Department	Bel, Neem and Aonla and other local species as suggested by Forest Department.	3000
2nd-4th year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga and local species (खनिज क्षेत्र के समीप स्थित खेतों के भू-मालिकों को प्राथमिकता दी जाये)	900
N.B. – Causality Replacement of trees will be done within 2 years maintenance of plants will be done till lease period.			8150

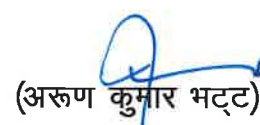
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

S. No	Activities	Budget (Rs.)
1	Sustainable Livelihood	
(a)	Provide employment to the 50 local villagers (including direct & indirect form) The payment to the workers will be done as per the Minimum Wages Act into the bank accounts preferably.	
(b)	Distribution of solar lamp/ solar cooker in village Barahiya	10000.00
2	Charnoi Land Development	
	Development of 5 ha Charnoi Land of village Barahiya	25000.00
3	Infrastructure Development	
	Construction of boundary wall and maintenance of road.	50,000.00
4	Health	
	Distribution of as sanitization kit (hand sanitizer, hand gloves and nose mask) and training to villagers for precautions needed in pandemic in village Barahiya	15,000.00
	Health check up camps (Quarterly in a year)	100000.00
	Donation of Instruments to PHC Barahiya	25000.00
5	Beautification of village Barahiya	
	To develop green belt around Panchayat and school building in village Barahiya	30,000.00
Total		255000.00

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

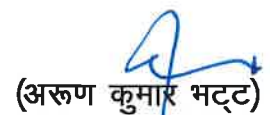
परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैंक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 303पी, 309पी, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317पी, 319पी, 320पी, 399पी, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 06.794 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन-3,00,000 टीपीए, ग्राम बरहिया, तहसील – मैहर, जिला – सतना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 03.02.2020 के माध्यम से उक्त लीज 50 वर्ष (दिनांक 23.02.2031 तक) स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.02.2031 तक मान्य रहेगी।

21. Case No 9799/2023: Prior Environmental clearance for enhancement in production capacity of Single Super Phosphate (SSP) & Granular Single Super Phosphate (GSSP) from 60000 MTPA to 132000 MTPA, and addition of new product namely Sodium Silica Fluoride-2000 MTPA and Gypsum Granular-60000 MTPA, at khasra No. 28, 120, 37, 121 Village-Rajauo, Tehsil & District Sagar (M.P.) by Shri Sourabh Gupta, Director, M/s Madhya Bharat Agro Product Ltd. Rajuoa Sagar, Village Rajuoa, Tehsil Sagar, District- Sagar (MP)-470002,

- प्रस्तावित परियोजना खसरा नंबर 28, 120, 37, 121 ग्राम-रजाऊ, तहसील और जिला-सागर (म. प्र.) में स्थित सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) और ग्रेन्युलर सिंगल सुपर फॉस्फेट (जीएसएसपी) की उत्पादन क्षमता को 60000 एमटीपीए से बढ़ाकर 132000 एमटीपीए करने और सोडियम सिलिका फ्लोराइड-2000 एमटीपीए और जिप्सम 60000 एमटीपीए ग्रेन्युलर नाम के नए उत्पाद को जोड़ने के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।
- कंपनी का एक उर्वरक संयंत्र है, जो 2006 से पहले काम कर रहा है। चूंकि प्लांट 2006 से पहले स्थापित किया गया था, इसलिए ईसी प्राप्त नहीं किया गया था और एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ के आधार पर प्लांट चल रहा है।
- परियोजना हेतु SEAC की 637 वीं बैठक दिनांक 17.04.2023 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 11 से 14 पर अंकित है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

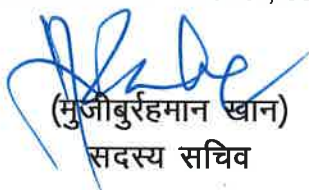
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-

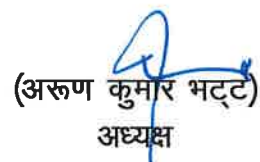
- a) सक्षम प्राधिकारी यानी एमपीपीसीबी से सीटीओ शर्तों का अनुपालन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
- b) ईआईए रिपोर्ट में विभिन्न प्रस्तावित सुविधाओं की क्षमता और डिजाइन मानदंड के साथ विस्तृत लेआउट (ए-3 आकार) पर चर्चा करे।
- c) विस्तार परियोजना में उपयोग की जाने वाली मशीनरी का विवरण ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे।
- d) विभिन्न रसायनों के भंडारण के लिए लाइनर्स और फर्श का विवरण उनकी अनुकूलता के रूप में ईआईए रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करे।
- e) ईआईए रिपोर्ट में घरेलू और औद्योगिक बहिष्काव के लिए जेडएलडी के प्रस्ताव को पूर्ण जल प्रबंधन के साथ प्रस्तुत करे।
- f) CGWB से भू जल अनुमति की स्थिति और भू जल की उपयोग हेतु CGWA को प्रस्तुत आवेदन / प्राप्त NOC की प्रति EIA रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे। परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाई का पूर्ण विवरण एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन की कार्यवाही ईआईए रिपोर्ट में समावेश करें।
- g) ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और ईआईए में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
- h) परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु ईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. Case No 9422/2022: Prior Environment Clearance for Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building "Rudraksh Kingston" at Survey No. 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4, 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, Village Bawadiyakalan, Tehsil Huzur, Dist. Bhopal (MP). [Total plot size of the project is 97,150 Sq.mtr. (24 acre).] by Shri Devendar Chowksey S/o Shri Narmada Prasad Chowksey R/o Division 08, E-8 Bawadiyakalan, Bhopal (MP)-462023 Cat. 8(b) Townships and Area Development projects. Env. Consultant: M/s. Global Mangement & Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.)


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

1. यह खसरा संख्या 112/1, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 116, 117/4 117/5, 117/6/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, ग्राम बावडियाकलां कलां, तहसील हुजूर, जिला। भोपाल (एमपी) में प्रस्तावित बहुमंजिला आवासीय और वाणिज्यिक भवन "रुद्राक्ष किंगस्टन" के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है। ।
2. परियोजना का कुल प्लॉट आकार 97,150 वर्ग मीटर (24 एकड़) है। परियोजना वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्य के लिए विकसित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना में होटल, डुप्लेक्स, प्लैट, बहुमंजिला इमारत, वाणिज्यिक दुकानें, क्लब हाउस और होटल शामिल हैं।
3. आवासीय और वाणिज्यिक के लिए कुल निर्मित क्षेत्र 2,94,024 वर्ग मीटर, जो 1,50,000.00 वर्ग मीटर से अधिक है, इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर, 2006 के अनुसार श्रेणी बी अनुसूची 8(बी) के अंतर्गत विचारधीन है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

Name of Project	"Rudraksh Kingston" Proposed Multi-Storey Residential and Commercial Building
Name of the Project Proponent	Shri. Devendra Chouksey S/o Shri. N.P. Chouksey
Location	Village – Bawadiyakalan, Tehsil – Huzur, District – Bhopal, & State – Madhya Pradesh.
Nearest Railway Station	Misrod Railway Station is about 1.67 km in SE Direction
Nearest Airport	Bhopal Airport: 16.32 in NW Direction
Nearest Highway	NH – 46 : 6.67km in East Direction
Size of plot	97,150 Sqm. (24 Acre)
Total Built Up Area	2,94,024.00 sqm
Building Height	45 M (As Mentioned in T&CP Letter Point No. 05)
Estimated Population	11,043
Total Water Requirement	1028.505 KLD
Fresh Water Requirement	633.505 KLD
Flushing Water	395 KLD
Power Requirement	Approx 5091.524 KW
STP Capacity	900 KLD
D.G. Sets	There is provision of 6 no. of DG set of total capacity 2125 kVA (3*500=1500 kVA + 250 kVA + 250 kVA +125 kVA) for power back up in the Project.
Solid Waste Generated	1808.23 Kg/day
Project Cost	227.06 crores

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

5. परियोजना हेतु SEAC की 637 वीं बैठक दिनांक 17.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 19 से 32 पर अंकित है।
6. प्रस्तुति के दौरान पाया गया कि परियोजना स्थल से लगा हुआ एक नाला है जो की कि मौजूदा नाला बावड़िया कलां गांव का एक हिस्सा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना में अपशिष्ट जल को 900 केएलडी की क्षमता वाले प्रस्तावित एमबीबीआर प्रौद्योगिकी केएसटीपी में उपचारित किया जाएगा। उपचारित सीवेज को परियोजना स्थल में शौचालय फ्लशिंग बागवानी के लिए पुनर्चक्रित/पुनः उपयोग किया जाएगा। उपचार के बाद सरप्लस ट्रीटेड 280 से 328 केएलडी पानी होगा जिसे बीएमसी द्वारा अमृत योजना के तहत म्युनिसिपल सीवर लाइन के जरिए डिस्पोज किया जाएगा।
7. भवन के निर्माण के दौरान 3,22,958.8 घन मीटर मिश्रित मिट्टी की खुदाई की जाएगी और इसमें से लगभग 95000 क्यूबिक मीटर टॉप-सॉयल का उपयोग वृक्षारोपण और लैंडस्केपिंग के लिए किया जाएगा। शेष सामग्री का उपयोग पूरे परियोजना स्थल की बैकफिलिंग के लिए किया जाएगा।

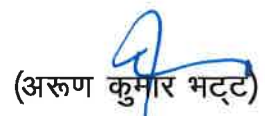
उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

- I. स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- II. परियोजना प्रस्तावक को अतिरिक्त उपचारित अपशिष्ट जल के निपटान के लिए नगर निगम की सीवर लाइन के साथ लिंकेज सुनिश्चित करें।
- III. फ्लशिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए उपचारित बहिस्राव के पुनः उपयोग के लिए दोहरी प्लंबिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से अपनाई जाये।
- IV. परियोजना से निष्क्रिय अपशिष्ट को डंपिंग साइट पर भेजा जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को नगर निगम से MSW के निष्पादन हेतु अनिवार्यरूप से अनुमति प्राप्त की जाना चाहिये।
- V. परियोजना स्थल से नाले की ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करे।
- VI. परियोजना स्थल से रेलवे लाइन की दूरी 400 उज है , परियोजना निर्माण हेतु भारतीय रेलवे मानक का पालन किया जाये।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 633वीं दिनांक 06.04.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से v एवं परिशिष्ट-5 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. प्रकरण क्र 8726/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री संदीप सूद आत्मज स्वा श्री सत्यपाल सूद निवासी माकान न. 37- रोहित नगर फेज न. 1 बावडियाकलों जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर, खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3040 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 267, 270 ग्राम मालीखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 625वी बैठक दिनांक 01.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

भोपाल जिले के मालीखेड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के संबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 में समाचार प्रकाशित हुए हैं। उक्त प्रकरण भी मालीखेड़ी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। अतः कलेक्टर जिला भोपाल से 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये कि इस क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं है। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र 9564/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अक्षय टुटेजा आत्मज अरुण टुटेजा, निवासी -32, लवकुशनगर, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 370, ग्राम शिवरियो, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- खण्डवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, खमेर, सिस्सू, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	400
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	150
3	ग्राम सिवारिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, मुनगा, कचनार, आवला, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	60
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1790
योग			2400

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सिवारिया के नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री अक्षय टुटेजा आत्मज अरुण टुटेजा, निवासी -32, लवकुशनगर, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 370, ग्राम शिवरियो, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा का पत्र क्र. 928 दिनांक 10.11.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 05 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.11.2027 तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण क्र 9183/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जकीउद्दीन काजी, निवासी - जूना बजार, तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर, खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 172, ग्राम माल्या तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	450
2.	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	550
3.	खनन पट्टे के भीतर दक्षिण पश्चिमी दिशा में लगभग 0.1000 हैक्टर में नॉन माईनिंग एरिया में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	120
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	1280
योग			2400

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम जहानाबाद के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्रीवाल एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री जकीउद्दीन काजी, निवासी – जूना बजार, तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर, खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 172, ग्राम माल्या तहसील अलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम का पत्र क्र. 4439 दिनांक 26.07.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.07.2031 तक मान्य रहेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

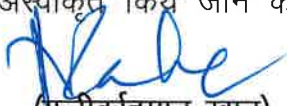
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

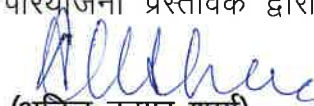
26. प्रकरण क्र 9801/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 221, ग्राम पीपलनेरिया, तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

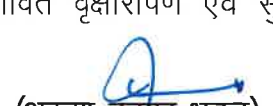
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 50000.04 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 50000.04 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 50000.04 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

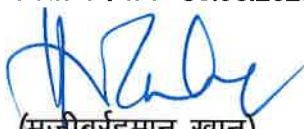
कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

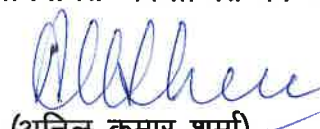
क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 - पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	3000
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	500
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम में तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	1500
योग			5,000

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम पीपलनेरिया के नजदीकी शासकीय प्राथमिक शाला में 25 बेंच व कुर्सिया प्रदान की जायें।
- ग्राम पीपलनेरिया के नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 221, ग्राम पीपलनेरिया, तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास का आदेश क्र. 600 दिनांक 06.02.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

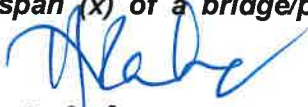
27. प्रकरण क्र 9802/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 55, ग्राम गाजनपुर-5, तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

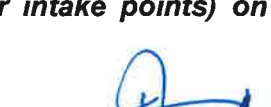
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 750 मीटर पर नेशनल हाईवे रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-*


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी 01 किलोमीटर छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र 9803/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 55, ग्राम गाजनपुर-4, तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 600 मीटर पर नेशनल हाईवे रोड ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी 01 किलोमीटर छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र 9804/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी (मिर्जापुर-2), तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 25000.02 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 - पंक्ति - करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	3,000


(मुजीबुरेहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	200
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम में तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	800
योग			4,000

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम भांजाखेड़ी के पास स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बेंच व 55 कुर्सीया प्रदान की जायें।
- ग्राम भांजाखेड़ी के नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

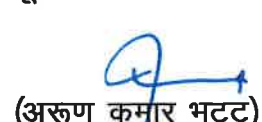
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी (मिर्जापुर-2), तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.)। म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल का पत्र क्र. 711 दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

30. प्रकरण क्र 9805/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.820 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2 (मिर्जापुर-1), तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 8200.02 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जायें तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति – खस, नागर, मोथा एवं स्थानीय घास 4-5 पंक्ति कतंग बांस 6 – पंक्ति – करंज , जामुन, लसोढा, ढेनचा, एवं अन्य फलदार वरक्ष	500
2.	परिवहन मार्ग	खमेर चिरोल करंज जंगल जलेबी कदम कनक	200
3.	आवंटित क्षेत्र के आसपास के ग्राम में तथा ग्रामवासियों के वितरण हेतु	आम बेर अमल सीताफल नींबू बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार पौधों की प्रजातियाँ	120
योग			820

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम भांजाखेड़ी के पास स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बेंच व 5 कुर्सीया प्रदान की जायें।
- ग्राम भांजाखेड़ी के नजदीकी शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स परम एजेन्सीज, अधिकृत व्यक्ति श्री विश्वास परमानी, निवासी एच.आई.जी. 441, ई-7 एरेरा कलोनी भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.820 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी-2 (मिर्जापुर-1), तहसील खातेगाँव, जिला देवास (म.प्र.)। म.प्र. राज्य खनिज निगम भोपाल का पत्र क्र. 711 दिनांक 30.09.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

31. प्रकरण क्र 9806/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज रियल स्टेट डेवलपर्स, अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव गुप्ता, निवासी -गणेश भोजनालय के सामने धर्मशाला रोड, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1645, ग्राम मछावली, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

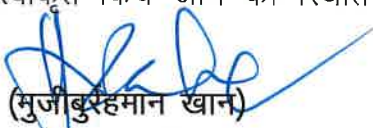

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

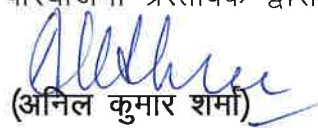
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

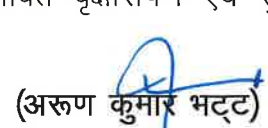
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 600 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 125940 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

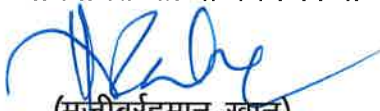
क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारो	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोथा, एवं स्थानीय प्रजातियां । 4-5 पंक्ति - कटंग एवं बांस । 6 पंक्ति - करंज जामुन लसोडा डेंचा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां।	1000
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, अशोक, खमेर, करंज, कदम्ब एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1000
3.	ग्राम मछवाली के ग्रामवासियोंको फलदार वृक्षों का वितरण ।	बैर, ईमली, नींबू, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार व अन्य स्थानीय प्रजाति ।	2200
योग			4200

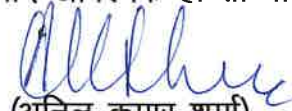
VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

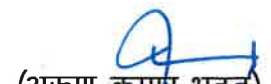
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मछवाली के शासकीय प्राथमिक शाला में 01 कम्प्यूटर, 01 टेबल एवं 01 कुर्सी प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज रियल स्टेट डेवलपर्स, अधिकृत व्यक्ति श्री राजीव गुप्ता, निवासी—गणेश भोजनालय के सामने धर्मशाला रोड, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा रेत, खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1645, ग्राम मछावली, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के आशय पत्र क्र. 372 दिनांक 04.03.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

32. प्रकरण क्र 9807/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री उत्तम लोधी आत्मज श्री थम्मन सिंह लोधी निवासी—20, वार्ड नं. 09, नाहेटा ग्राम कंसा रोड नोहटा, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2499 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 55/1(s), 55/2(s), 55/3(s), ग्राम बड़गुवां, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट—1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- (i) दमोह जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, अजूगा सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, अजूगा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अजूगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत बड़गुवां)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत बड़गुवां के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6	ग्राम पंचायत बड़गुवां के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
योग			1000

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बड़गुंवा के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 बेंच व 10 कुर्सियां उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम बड़गुंवा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के परामर्श आवश्यक सामग्री वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

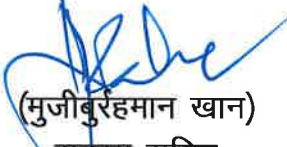
परियोजना प्रस्तावक श्री उत्तम लोधी आत्मज श्री थम्मन सिंह लोधी निवासी— 20, वार्ड नं. 09, नाहेटा ग्राम कंसा रोड़ नोहटा, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2499 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 55/1(s), 55/2(s), 55/3(s), ग्राम बड़गुंवा, तहसील जबेरा, जिला दमोह (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह का पत्र क्र. 683 दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 17.10.2032 तक मान्य रहेगी।

33. प्रकरण क्र. 6417/2019 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती, प्रतिमा राजे राणा पत्नि श्री शेर सिंह राणा, निवासी, 119/1 बी.टी. गंज, राजपुताना, पूर्व रूडकी हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 77010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 18.210 हेक्टेयर, खसरा 1008, ग्राम — तिगोड़ा, तहसील बन्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 576वी बैठक दिनांक 10.06.2022 एवं 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण व रखरखाव किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र. क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	1. बैरियर जोन 2. पट्टा क्षेत्र के भीतर निजी भूमि पर 3. पट्टा क्षेत्र के कोने पर (प्रथम वर्ष)	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3,000 4,000 3,000
2	गैर खनन क्षेत्र (द्वितीय वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5642
3	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) (प्रथम वर्ष)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु ग्राम) पंचायत तिगोडा (प्रथम वर्ष)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500
4	ग्राम पंचायत तिगोडा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में (द्वितीय वर्ष)	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1710

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम तिगोडा के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 बेंच व 05 कुर्सिया वितरित की जायें।
- ग्राम तिगोडा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती, प्रतिमा राजे राणा पत्नि श्री शेर सिंह राणा, निवासी, 119/1 बी.टी. गंज, राजपुताना, पूर्व रुडकी हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा डोलोमार्टट खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 77010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 18.210 हेक्टेयर, खसरा 1008, ग्राम – तिगोडा, तहसील बन्डा, जिला सागर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर का आदेश क्र. 1278 दिनांक 26.08.2021 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 06.10.1993 से 05.10.2043 तक स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 05.10.2043 तक मान्य रहेगी।

34. प्रकरण क्र 9759/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्रा.लि., प्रो. श्री आभाष गुप्ता, निवासी— रुद्राक्ष पार्क, फेस-2 फ्लैट नं. 402, बावडियाकलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 2/1, ग्राम बडायला चौरासी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

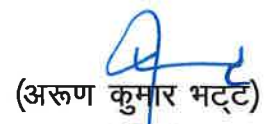
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 637वी बैठक दिनांक 17.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

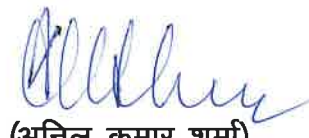
कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पवन चक्कियों से न्यूनतम 200 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में **ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जायें।**
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, कस्टार, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, चिरोल आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज आदि।	270
3.	उत्खनिपट्टा में उपलब्ध गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, कस्टार, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, चिरोल आदि।	250
4.	उत्खनिपट्टे के दक्षिण में स्थित दरगाह के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, पीपल, बरगद कदम्ब, मोलश्री, पुत्रंजीवा आदि।	200
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, आमला, कटहल, जामफल, सीताफल, संतरा, अनार, मूंगा आदि।	3260
योग			4680

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बडायला चौरासी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 02 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर टेबल के साथ उपलब्ध कराये जायें।
- ग्राम बडायला चौरासी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 स्ट्रेचर, 04 व्हील चेयर एवं चिकित्सा अधिकारी के परामर्श आवश्यक सामग्री वितरित की जाये।
- ग्राम बडायला चौरासी एवं नजदीकी स्थित ग्राम की मरम्मत करवाई जाये एवं उनके आस-पास वृक्षारोपण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अनन्या इंजीनियरिंग प्रा.लि., प्रो. श्री आभाष गुप्ता, निवासी- रुद्राक्ष पार्क, फेस-2 फ्लैट नं. 402, बावडियाकलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 2/1, ग्राम बडायला चौरासी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम का पत्र क्र. 195 दिनांक 25.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 24.06.2022 से 22.06.2024 तक की अवधि हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06.2024 तक मान्य रहेगी।

35. Case No 9363/2022 M/s Baerlocher India Additives Pvt. Ltd, Shri AkhileshKumawat, India Operation Head, Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP - 455001, Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP

1. प्रस्तावित परियोजना प्लॉट नंबर 2 और 2 - सी, औद्योगिक क्षेत्र 2 और 3, एबी रोड, जिला देवास, मध्य प्रदेश में **Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps** के निर्माण के क्षमता विस्तार 65,500 एमटीपीए से 1,38,700 एमटीपीए के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2. परियोजना हेतु SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 01 से 10 पर अंकित हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट के परिक्षण के दौरान निम्नानुसार उल्लेख पाया गया :-

"Observation during the site visit:

During the visit, it is noted that the expansion project is in construction phase".

परियोजना प्रस्तावक कृपया स्पष्ट करे कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना प्रोजेक्ट एक्सपेंशन का निर्माण कैसे शुरू हो गया ?

36. प्रकरण क्र. 9303/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स लक्की माईनिंग पार्टनर श्री रितेश राठौर पिता श्री ओमप्रकाश राठौर, निवासी- 60, रेल्वे स्टेशन रोड़, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.380 हेक्टेयर, खसरा 460/1, 460/2, 500/1, 500/2, ग्राम पिताबली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

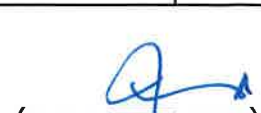
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम, खमेर आमला,	700


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

		आम, जामुन, अमरुद, आदि।	
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, सिस्सू, कदम आदि।	270
3.	आसपास के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल, मुनगा, फलदार पौधे आदि।	700
योग			1670

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पितावली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जाये।
- ग्राम पितावली में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामवासियों के लिए पीने के पानी की सुविधा हेतु निकटतम हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रिटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाया जाये।
- ग्राम पितावली के मवेशियों के लिए पंचायत के माध्यम से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन साल में 2 बार करवाया जावेगा।
- ग्राम पितावली के व्यक्ति जो की खदान में कार्यरत हैं उन्हें "उज्ज्वला योजना" के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जावेंगे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स लक्की माईनिंग पार्टनर श्री रितेश राठौर पिता श्री ओमप्रकाश राठौर, निवासी- 60, रेल्वे स्टेशन रोड़, जिला देवास (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम-सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.380 हेक्टेयर, खसरा 460/1, 460/2, 500/1, 500/2, ग्राम पिताबली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास का आदेश क्र. 1652 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.05.2032 तक मान्य रहेगी।

37. प्रकरण क्र. 9370/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे.के. सीमेन्ट लि. यूनिट जे.के. व्हाईट, यूनिट प्रमुख श्री गनेश साहू, निवासी -प्रथम तल, एसबीआई के ऊपर, दुर्गा चौक ब्रांच बरही, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 110075 टन प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड 15725 टन प्रतिवर्ष, रकबा 9.13 हेक्टेयर, खसरा 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2 ग्राम भगनवारा, तहसील बड़वारा जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- (i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 11 वृक्षों में से काटे जाने वाले 08 पेड़ के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 250 पौधों का संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधों के संरक्षण हेतु ट्री-गार्ड लगाये जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1 st and 2 nd Year	In barrier zone (1542m *7.5m = 11265sqm) 4 row plantation	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Aam, Bans, Sitafal , White Kastar and other local species	3900
From 3 rd year	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Aam, Bans, Sitafal , White Kastar and other local species	4500
In first Year	Non Mining Zone	Mahua	80
In First Year	For distribution of villagers	Neem, Mango, Awala, Munga, Jamun, Amrood, and other local species etc. At Keolari village	1000
In first year	Along the transport route (200 mtrs) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sissoo, Karanj, Pipal, and other local species	100
		Total	9580

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम शंकर घाट में स्थित नदी पर 04 स्टेप व 15 मीटर लम्बाई के घाट का निर्माण किया जाये एवं इसका सौदर्यीकरण किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम देवरी हताई रोड से भगनवारा ग्राम तक ग्राम पंचायत के परामर्श से रोड का निर्माण किया जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।
- ग्राम भगनवारा में ग्रामवासियों के लिये पीने के पानी हेतु 01 बोरबैल की स्थापना की जाये।
- ग्राम भगनवारा में 07 सोलर लाईट स्थापित की जायें।
- बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में वन्य जीवों के आवास विकास एवं कर्मचारी कल्याण गतिविधियों हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

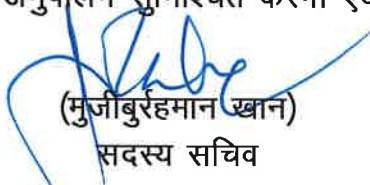
परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जे.के. सीमेन्ट लि. यूनिट जे.के. व्हाईट, यूनिट प्रमुख श्री गनेश साहू निवासी—प्रथम तल, एसबीआई के ऊपर, दुर्गा चौक ब्रांच बरही, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 110075 टन प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड 15725 टन प्रतिवर्ष, रकबा 9.13 हेक्टेयर, खसरा 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2 ग्राम भगनवारा, तहसील बड़वारा जिला कटनी (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क्र. 7112-13 दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.05.2052 तक मान्य रहेगी।

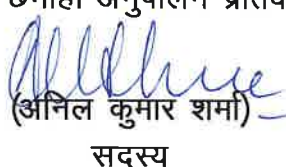
38. प्रकरण क्र. 9151/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कालीबाई वासूनिया पत्नी श्री नानालाल वासूनिया, निवासी—ग्राम बिजलपुर, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 311 ग्राम गुनई खालसा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

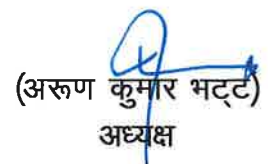
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- (i) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

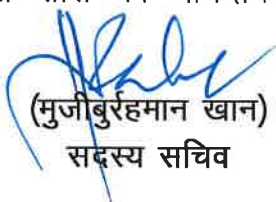
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

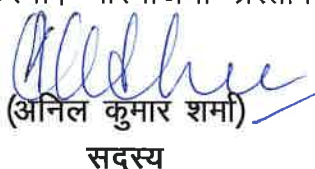
क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, कनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	550
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1500
3.	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवों के प्राथमिक शासकीय विद्यालय में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	2500
4.	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवों में वितरण	आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	3850
योग			8400

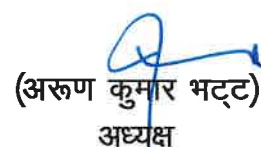
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम गुनाई खालसा के शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य किया जाये एवं बच्चों को पाठ्यसामग्री तथा गणवेश दिये जायें।
- ग्राम गुनाई खालसा के आंगनबाड़ी केन्द्र में फर्श व रसोई घर का निर्माण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

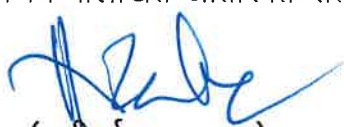
आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कालीबाई वासूनिया पत्नी श्री नानालाल वासूनिया, निवासी –ग्राम बिजलपुर, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 311 ग्राम गुनई खालसा, तहसील व जिला उज्जैन (म.प्र.)। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल का आदेश क्र. 16003-15 दिनांक 25.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.11.2031 तक मान्य रहेगी।

39. Case No 9808/2023: Prior Environment Clearance for Hat Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli&Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP) M.P. Water resources Department, O/o Engineer-in-Chief, Jalsansadhan Bhawan, Tulsī Nagar, Bhopal (MP)-462003,

1. उक्त हाट पिपलिया माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना 129903 हेक्टेयर क्षेत्र में देवास जिले की देवास, बागली और कन्नौद तहसील और खरगोन जिले की बरवाहा तहसील (एमपी) के गांवों (नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत) के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है।
2. स्रोत की आपूर्ति नर्मदा नदी (इंदिरा सागर जलाशय) है जिसमें दो lifting point की पहचान की गई है एक खंडवा जिले के ग्राम बांकापलास के पास है और दूसरा देवास जिले के ग्राम फतेहगढ़ के पास है।
3. बागली तहसील में संतुलन जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है, जहां पहले से मौजूद कोप टैंक और चंद्रकेशर टैंकों को मौजूदा 2.35एमसीएम और 30.06एमसीएम क्षमता से 65एमसीएम और 42.56एमसीएम क्षमता में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है।
4. चूंकि परियोजना में 264.0 हेक्टेयर, वन क्षेत्र, एफ.सी. शामिल है जिसके लिए फारेस्ट क्लीयरेंस ली जाना अनिवार्य है
5. परियोजना हेतु SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र.17 से 20 पर अंकित हैं।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area, forest area से संबंधित समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- iii. site specific management plan का विस्तृत अध्ययन कर EIA में उल्लेख करे।
- iv. sand की कमी को देखते हुए sand के पुनर्उपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे।
- v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे।

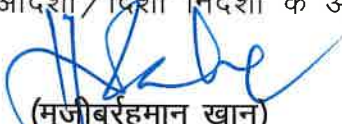
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

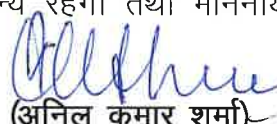
40. प्रकरण क्र 9809/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी- बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 22800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.80 हेक्टेयर, खसरा 786, ग्राम सिलगी नं. 2, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

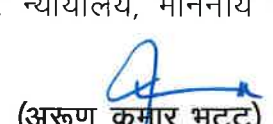
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 21600 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 22800 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 68,400 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

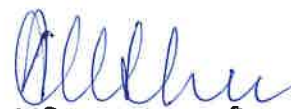
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में राशि रु. 9.00 लाख जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटुंग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2000
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटुंग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1000
2	ग्राम सिलंग के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
योग			3600

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम सिलगी के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये तथा पानी की उचित व्यवस्था हेतु टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 22800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.80 हेक्टेयर, खसरा 786, ग्राम सिलगी नं. 2, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला का आशय पत्र क्र. 381 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

41. प्रकरण क्र 9810/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम देवगांव, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

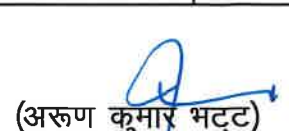
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 24,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में राशि रु. 9.00 लाख जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	करंज, कढ़ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटंग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों वन विभाग के सुझाव अनुसार	600
3	ग्राम पंचायत देवगाँव ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों।	300
योग			2400

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम देवगांव के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये तथा पानी की उचित व्यवस्था हेतु टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

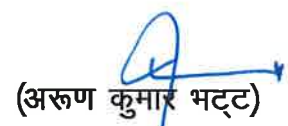
साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनवाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7999 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम देवगांव, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला का आशय पत्र क्र. 381 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

42. प्रकरण क्र 9812/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 100, ग्राम बहेरी, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

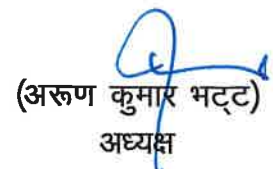
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10,800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 24.08.2021 की अनुशंसा अनुसार समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जाये तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में राशि रु. 3.00 लाख जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉस, जामुन कहवा खस, नागर मोथा, पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (कंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	400
योग			1200

- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम बहेरी के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये तथा पानी की उचित व्यवस्था हेतु टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 100, ग्राम बहेरी, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला का आशय पत्र क्र. 381 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

43. प्रकरण क्र 9813/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 14800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.70 हेक्टेयर, खसरा 370, ग्राम बकछेरादौना, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

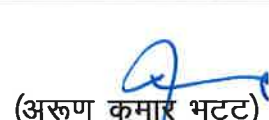
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 14800 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 14800 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 14800 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 44,400 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 14800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित वन क्षेत्र के संबंध में कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 14.06.2021 की अनुशंसा अनुसार समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में राशि रु. 12.00 लाख जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा, पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों वन विभाग के सुझाव अनुसार	400
योग			1200

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम बहेरी के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये तथा पानी की उचित व्यवस्था हेतु टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

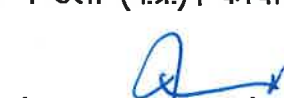
VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी- बस स्टैंड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 100, ग्राम बहेरी, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.)। कार्यालय


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला का आशय पत्र क्र. 381 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

44. प्रकरण क्र 9814/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी- बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12138 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा 670, ग्राम बम्हानी, तहसील मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तरी दिशा में 120 मीटर पर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी 01 किलोमीटर छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

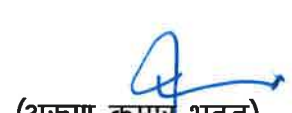
45. प्रकरण क्र 9815/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., अधिकृत व्यक्ति श्री धर्मेन्द्र मेहता निवासी- शिवनगर अंजार, कच्छ (गुजरात) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 510, 514, ग्राम सालरिया, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- (i) मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

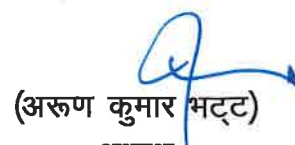
क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, आम, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सिस्सू आदि एवं अन्य छायादार वृक्ष	400
3.	ग्राम सलारिया के नजदीक स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	50
4.	ग्राम सलारिया एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम, आमला, संतरा, जामफल, सीताफल, अनार, अमरुद, नींबू, मूंगा आदि।	3810
5.	ग्राम के प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के उत्तरीय भाग के अनुपयोगी क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टार, सिस्सू आदि।	1000
योग			5960

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम सालरिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर टेबल के साथ प्रदान किये जायें

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एम.के.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., अधिकृत व्यक्ति श्री धर्मेन्द्र मेहता निवासी— शिवनगर अंजार, कच्छ (गुजरात) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 510, 514, ग्राम सालरिया, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर का पत्र क्र. 2617 दिनांक 22.11.2022 एवं पत्र क्र. 501 दिनांक 02.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान दिनांक 17.10.2022 से 610 दिवस तक की अवधि हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 16.08.2024 तक मान्य रहेगी।

46. प्रकरण क्र 9816/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 968, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

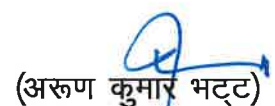
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 25,200 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

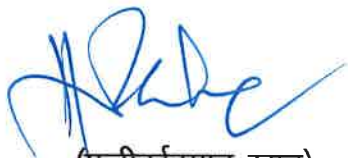
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में राशि रु. 7.50 लाख जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	कटग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1200
3	ग्राम मुगदरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
योग			3000

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-


(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम मुगदरा के शासकीय प्राथमिक शाला में 02 शौचालय का निर्माण किया जाये तथा पानी की उचित व्यवस्था हेतु टंकी मोटर के साथ स्थापित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

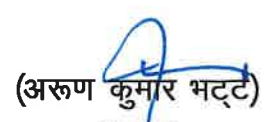
VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 8400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 968, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला का आशय पत्र क्र. 381 दिनांक 14.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

47. प्रकरण क्र 9818/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एसोसिएट्स, पार्टनर श्री रविन्द्र सिंह निवासी— बस स्टैण्ड रोड़, जिला मण्डला (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.44 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम भड़िया, तहसील नैनपुर, जिला मण्डला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 530 मीटर पर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी 01 किलोमीटर छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

48. प्रकरण क्र 9822/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी- गुर्जर मोहल्ला, ग्राम कराड़िया, रामपुरिया, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.350 हेक्टेयर, खसरा 61, ग्राम दात्याखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वी बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा में 210 मीटर पर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी **Sustainable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020** में दिये गये प्रावधान **"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream**


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार रोड ब्रिज से निर्धारित दूरी 01 किलोमीटर छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

49. प्रकरण क्र 9823/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी- गुर्जर मोहल्ला, ग्राम कराड़िया, रामपुरिया, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.750 हेक्टेयर, खसरा 473, 486, 507, ग्राम धतुरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 5040 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले स्टाप डेम स्ट्रक्चर से अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा तथा तथा डाउन स्ट्रीम में माइनिंग प्रतिबंधित रहेगी। उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

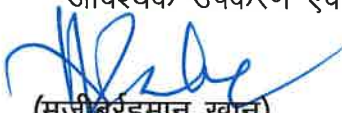
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

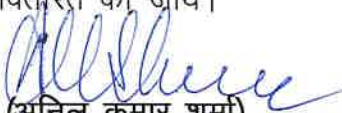
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जाये तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में आवश्यक धनराशि जमा किये जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

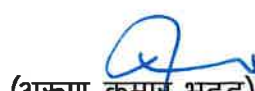
क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे 850 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करंज, कटंग बॉस, जामुन, कहवा खस, नागर मोथा, पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर आदि।	200
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- खमेर, जामुन, जंगल जलेबी, चिरोल, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	150
3.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू आदि।	1950
योग			2300

- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम धतुरिया के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक उपकरण एवं सामग्री वितरित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी— गुर्जर मोहल्ला, ग्राम कराड़िया, रामपुरिया, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.750 हेक्टेयर, खसरा 473, 486, 507, ग्राम धतुरिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा का आशय पत्र क्र. 120 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

50. प्रकरण क्र 9824/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी— गुर्जर मोहल्ला, ग्राम कराड़िया, रामपुरिया, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.640 हेक्टेयर, खसरा 01 एवं 580, ग्राम दीवानखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

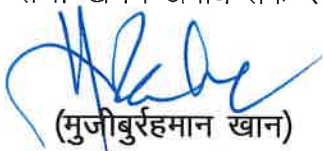


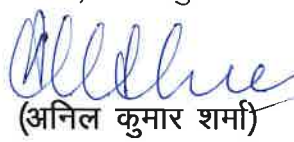
(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

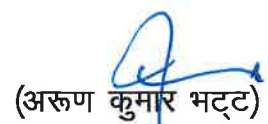
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 638वीं बैठक दिनांक 18.04.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-2) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 2520 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले रोड़ ब्रिज से अपस्ट्रीम में न्यूनतम 900 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जायें।
- III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में आवश्यक धनराशि जमा किये जाये तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

क्र.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे :- जामुन, कहवा खस, नागर मोथा, बेलपत्र, जंगल जलेबी, अर्जुन, चिरोल, सीताफल आदि।	150
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- सिस्सू, पीपल, नीम ,करंज जामुन, जंगल जलेबी, अर्जुन चिरोल, आदि।	100
3.	मंदिर के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, नीम , बेलपत्र, जंगल जलेबी, चिरोल, सीताफल आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू आदि।	1900
योग			2200

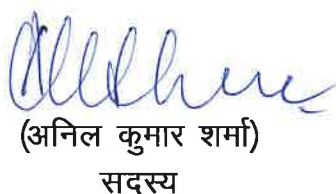
VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

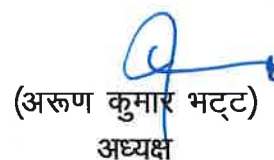
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम दीवानखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक उपकरण एवं सामग्री वितरित की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 31.05.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आरव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, निवासी— गुर्जर मोहल्ला, ग्राम कराड़िया, रामपुरिया, जिला झालावाड़ (राज.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.640 हेक्टेयर, खसरा 01 एवं 580, ग्राम दीवानखेड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा का आशय पत्र क्र. 120 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

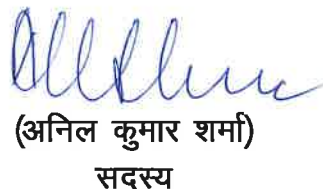
नीतिगत निर्णय :-

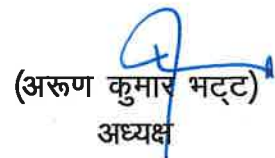
SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदित कलस्टर के अधिकतर प्रकरणों में निम्नानुसार लेख किया जा रहा है :-

".....प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के उपरांत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मिति की शर्तों के परिपालन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर निरीक्षण किया जाता है तथा जिला कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा भी जिला स्तर पर स्वीकृत खदानों के स्थल निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है। अतः प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की वास्तविक स्थिति के संबंध में जिला स्तर पर स्थल निरीक्षण कर SEIAA कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाये। तदनुसार म. प्र. खनिज संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।
2. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चारों ओर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

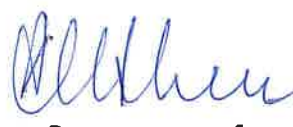

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

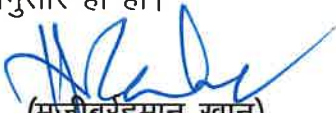
खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

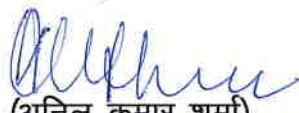
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट-2

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

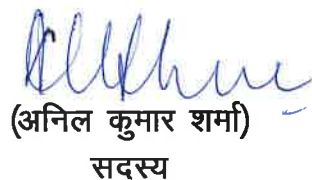

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट-3

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ट द्रव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट-4

(1) Waste water management:-

- (a) PP should ensure 100% recycling of waste water and maintain zero discharge.
- (b) There shall be no industrial effluent discharge within the project premises.

(2) Air Quality Management:-

- (a) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.
- (b) PP should ensure regular Stack monitoring & Ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.
- (c) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

- (d) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.
 - (e) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.
 - (f) Separate civil construction material storage yard should be created within the site and it will be enclosed.
 - (g) Possibility of increasing the pace of green belt development along with construction activity will also be explored.
 - (h) Transport vehicles and construction equipments / machineries will be properly maintained to reduce air emissions.
 - (i) Vehicles and equipments will be periodically checked for pollutant emissions against stipulated norms.
 - (j) Idle running of vehicles will be minimized during material loading / unloading operations.
- (3) Tailings generated from the process shall be used for brick manufacturing / building material as far as possible. Storing / dumping of this waste should be avoided. However, if stored or dumped, in abundant mine pit the ground water monitoring of the area has to be carried out periodically in consultation with MPPCB.
- (4) Dense green area (not less than 33% of the total plot area) shall be developed all around the site especially in the predominant wind direction.
- (5) Occupational health check-up camps shall be organized regularly and records of health of each and every worker should be maintained at site.
- (6) National Ambient Air Quality Standard issued by the Ministry vide GSR No. 826 (E) dated 16.11.2009 shall be followed.
- (7) Secondary fugitive emissions from all sources shall be controlled within latest permission limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code or practice issued by CPCB shall be followed.
- (8) Regular monitoring of influent and effluents surface, sub-surface and ground water shall be ensured and treated waste water shall be re-cycled in the process. Leachate study for effluent generated & analyses should also be regularly carried out and report submitted to ministry and MPPCB.


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

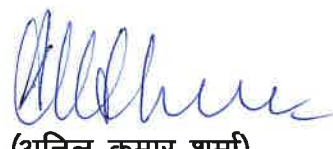

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

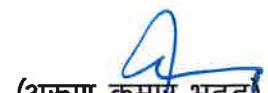

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 784वी बैठक दिनांक 04.05.2023
का कार्यवाही विवरण

- (9) Risk & Disaster Management Plan along with the mitigation measures should be prepared and copy shall be submitted to Ministry of Environment & Forests, GoI & MPPCB.

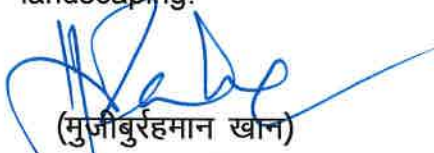

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट-5

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation and there should no extraction of ground water.
2. Water requirement of the project shall be ensured to be met only through the licensed tanker water suppliers for the cases wherein water supply is stipulated to be met through water tankers.
3. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
4. Dual plumbing system to be provided for reuse of the treated effluent for flushing and other purposes
5. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
6. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
7. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body & it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
8. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
9. **For firefighting:-**
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement should be made available on the project site .2016 as per NBC
 - b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
10. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
11. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
12. The proponent shall develop green belt in an area not less than 10% of plot area in addition to green belt in setback areas. The landscape planning should include plantation of native species. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष